

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फ़ैक्स: 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 2299 /12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 25-10-2016

सेवा में

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड,
अल्मोड़ा।

विषय – देघाट-नागचूलाखान से चन्धरखाड़ी कलियालिगड़ होते हुए झीपा बैण्ड मिलान हेतु मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं० 11258/2015)

संदर्भ – आनलाइन आपत्ति।

महोदय,

विषयगत प्रकरण में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार कर दिया गया है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	Authority letter is not uploaded in favour of the applicant in Part I though provided with hard copy of the proposal.	Authority Letter is uploaded in Part I A-3. (xvii)
2.	Component wise break up should include area required against each component of proposed road including muck etc in Part-I.	Component wise break up of proposed road including road & muck disposal given in Part I B-2.4
3.	Proceedings of village level committee (VLC) meeting pertaining to village Chantarkani is not provided with the FRA certificate.	VLC meeting document of village Chantarkari is provided with the FRA certificate uploaded in K.(i)(a)
4.	The State Govt. has provided/uploaded the scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map showing geo-coordinates on few points which is not acceptable. The State Govt may provide/upload the correct map showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points on exact to the scale and ensure the uploading of correct revised map in online Part-I.	Map showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points on exact to the scale is uploaded in Part-I C(iv)
5.	The State Govt may provide/upload GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file. The Goole earth map will not accepted for the purpose.	GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file uploaded.
6.	The value filled in online Part -I against employment generation likely to be generated in column E(ii) and (iii) is seems incorrect. The correct detail may be filled in this column, if required.	The correct detail of employment generation given in PartI E(ii) and (iii)

Cont. on page 2

7.	Administrative Approval and Financial Sanction for Construction of this road uploaded as additional document in Part I is issued in the year 2010. May clarify whether it has been revalidated for the year 2016-17.	Administrative Approval and Financial Sanction for Construction of this road is validated for the year 2016-17.
8.	Date and signature of FRA certificate and district level committee proceeding is not provided in the copy uploaded in online part I while in the hard copy it is given. The State Govt may upload correct copy of FRA and DLC in Part-I.	FRA certificate and district level committee proceeding is uploaded in online PartI with date and signature
9.	The KML file for CA area is not uploaded in designated column in Part –I and II. The file uploaded is of KML file of area proposed for diversion. The correct file may upload in Part I and II.	The correct KML file for CA area is uploaded in Part I (L)
10.	In Part I ownership detail, MoU signed between user agency and the present owner and non encumbrances certificate etc for the area proposed for CA is not uploaded in Part I column L (iv) (e,f,g,h)	In Part I ownership detail, MoU signed between user agency and the present owner and non encumbrances certificate etc for the area proposed for CA is uploaded in Part I column L (iv) (e,f,g,h)
11.	Sol toposheet map indicating location of area proposed for CA is not uploaded in Part I. The file uploaded in the column is of area proposed for diversion. The State Govt may upload the correct file in the designated place.	Sol toposheet map indicating location of area proposed for CA is uploaded in Part I.
12.	33 trees per hectare does not account for 0.3 density. The State Govt may review the density of the area and do necessary correction.	Density का नवीन प्रमाण पत्र Part I (additional information) में संलग्न कर दिया गया है।

भवदीय




प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

परियोजना का नाम :- देवाल - भागचूलावाल - च-चरखाड़ी
कालिदास लिग्गड, झीका केण्ड शीठ कागी

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन मंत्रालय के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदन वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

- 1- ईको-क्लास श्रेणी..... V
- 2- हरियाली का घनत्व 1.4
- 3- एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 8,45,000/-
- 4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल है0 1.485
- 5- कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 12,54,825/- (अनु. वारह लाख
असौ हजार आठ सौ पचास मात्र)


प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत**

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

E-mail - eepdrani@yahoo.com

पत्रांक ११५७ / ३६सी.

दिनांक रानीखेत अक्टूबर २२, २०१६

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- देघाट नागचूलाखाल से चन्धरखाड़ी कलियालिगुड़ होते हुए झीपा बण्ड मिलान हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।(प्रस्ताव संख्या-11258/2015)

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक मैमो / 12-1(2) दिनांक 14.09.2016।


महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 14.09.2016 को प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है-

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	Authority letter is not uploaded in favour of the applicant in Part I though provided with hard copy of the proposal.	Authority Letter is uploaded in Part I A-3. (xvii)
2.	Component wise break up should include area required against each component of proposed road including muck etc in Part-I.	Component wise break up of proposed road including road & muck disposal given in Part I B-2.4
3.	Proceedings of village level committee (VLC) meeting pertaining to village Chantarkani is not provided with the FRA certificate.	VLC meeting document of village Chantarkari is provided with the FRA certificate uploaded in K.(i)(a)
4.	The State Govt. has provided/uploaded the scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map showing geo-coordinates on few points which is not acceptable. The State Govt may provide/upload the correct map showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points on exact to the scale and ensure the uploading of correct revised map in online Part-I.	Map showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points on exact to the scale is uploaded in Part-I C(iv)
5.	The State Govt may provide/upload GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file. The Goole earth map will not accepted for the purpose.	GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file uploaded.
6.	The value filled in online Part -I against employment generation likely to be generated in column E(ii) and (iii) is seems incorrect. The correct detail may be filled in this column, if required.	The correct detail of employment generation given in PartI E(ii) and (iii)

Cont. on page 2

7.	Administrative Approval and Financial Sanction for Construction of this road uploaded as additional document in Part I is issued in the year 2010. May clarify whether it has been revalidated for the year 2016-17.	Administrative Approval and Financial Sanction for Construction of this road is validated for the year 2016-17.
8.	Date and signature of FRA certificate and district level committee proceeding is not provided in the copy uploaded in online part I while in the hard copy it is given. The State Govt may upload correct copy of FRA and DLC in Part-I.	FRA certificate and district level committee proceeding is uploaded in online Part I with date and signature
9.	The KML file for CA area is not uploaded in designated column in Part -I and II. The file uploaded is of KML file of area proposed for diversion. The correct file may upload in Part I and II.	The correct KML file for CA area is uploaded in Part I (L)
10.	In Part I ownership detail, MoU signed between user agency and the present owner and non encumbrances certificate etc for the area proposed for CA is not uploaded in Part I column L (iv) (e,f,g,h)	In Part I ownership detail, MoU signed between user agency and the present owner and non encumbrances certificate etc for the area proposed for CA is uploaded in Part I column L (iv) (e,f,g,h)
11.	Sol toposheet map indicating location of area proposed for CA is not uploaded in Part I. The file uploaded in the column is of area proposed for diversion. The State Govt may upload the correct file in the designated place.	Sol toposheet map indicating location of area proposed for CA is uploaded in Part I.
12.	33 trees per hectare does not account for 0.3 density. The State Govt may review the density of the area and do necessary correction.	Density of the area details is not part of user agency. This is related to DFO



अधिरासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

TO WHOM MAY CONCERN

Letter No. 255/1052

Dated. 13/01/2016


Mr. Kundan Lal Verma, Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Ranikhet(Almora) is being authorized to make online submission of the Forest Land Transfer Proposal under the jurisdiction of Provincial Division, P.W.D., Ranikhet.


Supervising Engineer,
1st Circle, P.W.D.,
Almora

जीयोरेफेरेंस मैप – जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैण के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्धरखाड़ी कलियालिगुड़ होते हुए झीपा बैण्ड मिलान हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



Scale - 1:10,000



S.no.	Longitude	Latitude
1	79°15' 42.523" E	29°57' 23.673" N
2	79°15' 43.431" E	29°57' 18.182" N
3	79°15' 47.456" E	29°57' 14.528" N
4	79°15' 53.309" E	29°57' 11.351" N
5	79°15' 57.133" E	29°57' 10.078" N
6	79°16' 3.093" E	29°57' 14.681" N
7	79°16' 0.377" E	29°57' 12.824" N
8	79°15' 55.081" E	29°57' 14.846" N
9	79°15' 50.096" E	29°57' 19.311" N
10	79°15' 54.134" E	29°57' 18.017" N
11	79°15' 59.679" E	29°57' 19.359" N
12	79°16' 4.073" E	29°57' 22.844" N
13	79°16' 9.568" E	29°57' 22.609" N
14	79°16' 15.061" E	29°57' 22.900" N
15	79°16' 20.781" E	29°57' 22.659" N

अधिसारी अभियन्ता
प. नं. १४८, सो.नि.वि.
राजीवसैत [अल्मोड़ा]


Legend

- Muck Disposal Point
- Mroad GPS Coordinates
- Proposed Road

जीयॉरेफरेन्स मैप - जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासेण के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्धरखाड़ी कलियालिगुड होते हुए डीपा बैंण्ड मिलान हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु



Scale - 1:5,000



S.no.	Longitude	Latitude
1	79°16' 7.424" E	29°57' 22.915" N
2	79°16' 6.123" E	29°57' 22.692" N
3	79°16' 4.808" E	29°57' 22.529" N
4	79°16' 3.686" E	29°57' 21.911" N
5	79°16' 3.418" E	29°57' 20.724" N
6	79°16' 3.881" E	29°57' 19.511" N
7	79°16' 5.015" E	29°57' 18.847" N
8	79°16' 6.303" E	29°57' 18.823" N
9	79°16' 7.636" E	29°57' 18.829" N
10	79°16' 8.877" E	29°57' 18.406" N
11	79°16' 10.136" E	29°57' 18.089" N
12	79°16' 11.095" E	29°57' 18.962" N
13	79°16' 12.290" E	29°57' 19.488" N
14	79°16' 12.114" E	29°57' 20.318" N
15	79°16' 11.954" E	29°57' 21.602" N
16	79°16' 12.386" E	29°57' 22.772" N
17	79°16' 11.397" E	29°57' 23.478" N
18	79°16' 10.073" E	29°57' 23.290" N
19	79°16' 8.748" E	29°57' 23.103" N

अधिकाारी बसिबन्ता
 शास्त्रीय षण्ड, सो.नि.वि.वि.
 चानीकेत [बसमोबा]

Legend
 ■ GPS Co ordinates
 ■ Ca Land

79°15'57"E 79°15'54"E 79°15'51"E 79°15'48"E 79°15'45"E 79°15'42"E 79°15'39"E 79°15'36"E 79°15'33"E 79°15'30"E 79°15'27"E 79°15'24"E 79°15'21"E 79°15'18"E 79°15'15"E 79°15'12"N 29°57'27"N 29°57'24"N 29°57'21"N 29°57'18"N 29°57'15"N 29°57'12"N 29°57'9"N 29°57'6"N 29°57'3"N 29°57'0"N

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- देवदर तहसील के वन-विकास-परियोजनावन अधिकार अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्रग्राम पंचायत का नाम जहलिया किराड
तहसील रामगढ़, जिला कन्नड़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद कन्नड़ के अन्तर्गत रामगढ़ परियोजना के निर्माण हेतु (~~—~~ हे0 आरक्षित वन भूमि, ~~—~~ हे0 सिविल सोयम भूमि, ~~—~~ हे0 वन पंचायत भूमि ~~—~~ हे0) अर्थात् कुल 2.25 हे0 वन भूमि का कन्नड़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जहलिया किराड द्वारा दिनांक 15-3-2023 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का इनगन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जहलिया किराड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जहलिया किराड प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/रवि
ग्राम सचिव



ह0/-
ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 15-3-2015 को गान समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

का प्रमाण

कनिष्ठ

क्र.सं.	नाम	सं.	पता
1	मोहन	23	श्री. श. श. श.
2	मोहन	24	श्री. श. श. श.
3	लक्ष्मण सिंह	25	भारत मण्डल
4	बंशीधर सिंह	26	भारत मण्डल
5	हर सिंह	27	शंकर मंडल
6	दिलीप सिंह	28	सुखानंद सिंह
7	पुष्प सिंह	29	जयमंडल
8	दीपक सिंह	30	लाल सिंह
9	इन्द्र सिंह	31	जय मंडल
10	शशिकांत सिंह	32	जय मंडल
11	सुखदेव सिंह	33	दीपक मंडल
12	विपिन सिंह	34	श्री. मा. जय मंडल
13	मोहन सिंह	35	दीपक सिंह
14	मोहन सिंह	36	कुन्त सिंह
15	माना सिंह	37	पुष्प मंडल
16	दीपक सिंह	38	दीपक सिंह
17	इयाती राम	39	दीपक मंडल
18	दीपक सिंह	40	दीपक सिंह
19	अनन्दा राम	41	कल्याण मंडल
20	अनन्दा राम	42	दीपक सिंह
21	दीपक सिंह	43	दीपक सिंह
22	दीपक सिंह	44	दीपक सिंह
		45	दीपक सिंह

ग्राम प्रधान

सरचय



प्रद्वन सिंह
 क्षेत्र पंचायत सदस्य
 चण्डी दाणी
 वि. 10 स्थान (बलभोडा)

परियोजना का नाम

चन्द्रखोली - कर्मियालिंगुड द्विपा वेंड मोटर मार्ग
देघाट नागायला मोटर मार्ग सि० नो० 19 ले दिया वेंड

इन अधिसूचना अतिरिक्त/अनु०/2006 को अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चन्द्रखोली
तहसील अनापत्ति जिला अनापत्ति
अनापत्ति प्रमाण पत्र


कार्यक्रम में अनापत्ति अनापत्ति व अन्तर्गत अनापत्ति परियोजना के निर्माण हेतु।

इस परियोजना का नाम का निर्माण प्रमाण नूँ 1.450S कि इन शक्यत भूँ हेतु अर्थात कुल 1.4 8.5 हेतु इन नूँ के अनापत्ति विस्तार अर्थात क.क.ने भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्याबर्तित करने हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किया गया।

यह प्रमाण पत्र दिनांक में ग्राम पंचायत चन्द्रखोली द्वारा दिनांक 15-3-23 को सत्यन ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में इसका निर्माण द्वारा आवेदन इन नूँ के समूह में अनापत्ति प्रमाण पत्र निगूठ करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि इन अधिकार अधिनियम,2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन इन नूँ में अधिवासी अथवा किसी पर अधिवासी का कब्जा /शुर्ष कार्य है अथवा नहीं। एकाधिकत सभी अनुसूचित जातों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निगूठ करने में किसी भी अधिकारी अथवा पर अधिवासी का कब्जा /शुर्ष कार्य नहीं किया जा रहा है। इससे अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदन इन नूँ पर एनापत्तियों के पर्यावरण अधिसूचना का इनमें नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा समस्त नूँ के समूह में निगूठ किया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चन्द्रखोली के अनुसूचितों का प्रमाण इन नूँ अनापत्ति द्वारा एनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्माण हेतु दिने जाने पर कोई अपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत चन्द्रखोली
सि० न०-अनापत्ति जिला अनापत्ति


सदस्य
सदस्य अनापत्ति
सि० न०-अनापत्ति (अनापत्ति)

ग्राम प्रधान / सचिव
मुहर सहित



दिनांक 1923-01-5 का ग्राम जमा की सम्पन्न बैठक की प्रविष्टि
 ग्राम प्रधान च.प्र.खत्री

क्रमांक	ग्राम जमा के जमादारों के नाम	दिनांक
1	पद्मा देवी	चंद्रा देवी
2	च.प.सिंह	विमला देवी
3	धर्मसिंह	सुनी देवी
4	कमला देवी	जोधा देवी
5	केशवसिंह	आमर सिंह
6	श्रीमती चम्पा देवी	सुरज देवत
7	श्रीमती ब्रह्म देवी	इला देवत
8	लालत सिंह	लक्ष्मण देवत
9	नरदेवसिंह	शोभा देवी
10	सुरेन्द्र सिंह	लक्ष्मी देवी
11	पाना सिंह	कपिल देवत
12	मन्जसिंह	सोनी देवत
13	अमरसिंह	आनंदसिंह
14	महेशसिंह	सुभाष
15	देव	सुभाष
16	कचन देव	सुभाष
17	समान देवी	देवी देवी
18	देव	सुभाष
19	लालत देवत	MA R...
20	इब्र सिंह	लीमा देवत
21	दिवान देव	जसवंत सिंह
22		

ग्राम प्रधान

सरयंच

Rawt

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत च-अरखानी
 पी० अरगन वि० ख० स्थाल

मन्जसिंह

क्षेत्र पंचायत सदस्य

चम्बर देवत

वि० ख० स्थाले (अरखानी)

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- खेरी (वडी) - काकोडा (खेरी)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, खेरी (वडी)
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, खेरी (वडी) (खेरी)

उपखण्ड खेरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत खेरी
खेरी (खेरी हेतु आरक्षित वन भूमि 1.425 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.425 हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.425 हे० वन भूमि) का खेरी (वडी) (खेरी) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील खेरी) की दिनांक 18-3-2013 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री खेरी (वडी) (खेरी) उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| 1- | श्री <u>खेरी (वडी) (खेरी)</u> | उप जिलाधिकारी | <u>खेरी (वडी) (खेरी)</u> | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>खेरी (वडी) (खेरी)</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>खेरी (वडी) (खेरी)</u> | सदस्य |
| 3- | श्री <u>खेरी (वडी) (खेरी)</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>खेरी (वडी) (खेरी)</u> | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री <u>खेरी (वडी) (खेरी)</u> | डीडी/डीओ क्षेत्र | <u>खेरी (वडी) (खेरी)</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

खेरी (वडी) - काकोडा (खेरी)

परियोजना हेतु 1.425 हे० वन भूमि

खेरी (वडी) (खेरी) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, खेरी (वडी) (खेरी) द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तरसाबंदी नियम 2008 के प्राविधान की स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ENC-09 परिक्षेत्र के अन्तर्गत
है। वन भूमि ENC-09 परियोजना के निर्माण हेतु 1.3.83
प्रत्यापनित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अवयव
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- ENC-09
जनपद- ...

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अवयव
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- ENC-09
जनपद- ...


प्रमाण पत्र प्रपत्र 23.3

परियोजना का नाम :- देवनागर भांगपुरा (बाल से) चलयदस्वकी - कर्मिधामिनुड

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एफ.सी. दिनांक 05.02.2013 के जारी आदेश के क्रम में आवेदित भूमि परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व सिविल एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रही है।


जिला समाज कल्याण अधिकारी,
नोडल अधिकारी, अल्मोड़ा

विभा. समाज कल्याण प्रपत्र 23.3
अल्मोड़ा



10/06/15
जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire ^{1.11.2015} hect. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above


 District Collector
 District Collector



10/06/15

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)


 District Collector

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S. Deputy Commissioner, Almora on date.....10.06.15.....at time.....11.00.A.M.....at Almora, in which application claiming rights of NEOHIT - KPRGCHHINZAPPAZ: 417/15 area measuring 1.485 hect. for the Construction of C.B.T.M.P. KHANNA ROAD, LABUN, ST. L.P. Basel M.P. of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :


विभा. सहायक महासचिव अतिरिक्त
अल्मोरा

(Full name of the official seal of the District Collector)


10.06.15
Signature

विभा. सहायक महासचिव
अल्मोरा

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Rudrapur

No :

Dated:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN


In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No:- 119/98-EC(pf) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers) Recognition of Forest Right, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 1.425 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept, Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Chandpur Bypass Road near Chandpur village in Syalda Tehsil.

(Purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Chandpur village(s) in Syalda Tehsil.

It is further Certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.425 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent of it.
- The proposal does not involve recognized of primitive Tribe Groups and pre-agricultural communities.

Encl: As above



10/06/15
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

विभागाध्यक्ष
रुद्रपुर

2-10

परियोजना का नाम :- विधानसभा सड़क के अन्तर्गत देघाट-नागचूलाखाल से चन्धरखाडी-कलियालिगुड-झीपा ब्रैण्ड हेतु मोटर मार्ग का निर्माण। (2.500किमी.) (1.485है०)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सड़क के अन्तर्गत देघाट-नागचूलाखाल से चन्धरखाडी-कलियालिगुड-झीपा ब्रैण्ड हेतु मोटर मार्ग के निर्माण में 1.485 है० इन भूमि प्रभावित हो रही है जो 297 क्यू/मी है जो 300 है जो चन्धरखाडी के सिद्ध है।
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सड़क के अन्तर्गत देघाट-नागचूलाखाल से चन्धरखाडी-कलियालिगुड-झीपा ब्रैण्ड हेतु मोटर मार्ग के निर्माण में 1.485 है० इन भूमि प्रभावित हो रही है जो 297 क्यू/मी है जो 300 है जो चन्धरखाडी के सिद्ध है।

अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिसूत्री अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड/ लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

वन विभागाधिकारी,
जो.सि.रेव
अल्मोड़ा वन प्रभाग

H0/-
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग

बृक्षा रोपण हेतु प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम - देघाट नागबुलाखाल मोटर मार्ग से द्वीपा बैण्ड चन्धरखाणी कलियालिगुण मोटर मार्ग।

प्रमाणित किया जाता है कि मौजा कलियालिगुण पटवारी क्षेत्र खल्हुवा तहसील स्याल्दे के खाता संख्या 32/53 रकबा 3.695

भूमि बृक्षा रोपण हेतु उपलब्ध है तथा राजस्व विभाग को भूमि देने में कोई आपत्ति नहीं है।
उत्तर में जो ^{खतबे-2} जमिन 2 ^{चौक} बृक्षों प्रोत्साहित है।



पटवारी क्षेत्र खल्हुवा
तहसील स्याल्दे


तहसीदार स्याल्दे




उपप्रिन्सिपल अधिकारी
विचित्र
मिर्जापुर जिल्ला

जिला अधिकारी
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

डिजिटल मैप – जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैण के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिगुड़ होते हुए झीपा बैण्ड मिलान हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु



Legend

-  Proposed Plantation
-  Reserve Forest Area
-  Reserve Forest Boundary
-  Forest Division Boundary

Handwritten signatures and initials in blue ink.